FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बमुकाम : सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री विजय प्रताप गोस्वामी

सरकार बनाम सुरेशभाई

सी. आई.एस नम्बर 1879/14

फौजदारी मूल प्रकरण सं. 1519/17

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-08-19	सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त **सुरेशभाई व दयाभाई** अनुपस्थित। अभियुक्तगण **सुरेशभाई व दयाभाई** का गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ लौटा है कि अभियुक्तगण **सुरेशभाई व दयाभाई** वारण्ट में दिए गए पते पर निवास नही करता है व अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नही है। प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के भय से रूहपोश हो चुका है एवं अपने आपको पुलिस से छिपा रहा है अतः अभियुक्तगण **सुरेशभाई व दयाभाई** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 82–83 सी.आर.पी.सी की कार्यवाही खोली जावे। अभियुक्तगण **सुरेशभाई व दयाभाई** के विरूद्व स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के पी.ओ. नम्बर संबंधित थाना से तलब करके आदेशिका में अंकित करे। पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित करें कि अभियुक्तगण मफरूर है पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट (विड) नही करे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। विजय प्रताप गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर	